

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 मं.
 578]
 नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2014/फाल्गुन 14, 1935

 No.
 578]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2014/PHALGUNA 14, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2014

का.आ. 677(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु: —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1005 GI/2014

1	2	3	
"4.	ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 बिहार	राज्य
	छोड़कर], रारा सं. 28 [(किमी 365.570 से किमी 627.000 (मुजफ्फरपुर-पिपराकोठी से गोपालगंज-	सरकार"।	
	उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा और मुजफ्फरपुर से बरौनी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 28बी, सं. 30		
	[किमी 181.30 0 से किमी 117.000 (पटना-बक्सर) और किमी 181.300 से किमी 231.950 (पटना-		
	बख्तियारपुर) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 30ए, सं. 31 [किमी 153.300 से किमी 447.000 (खगड़िया-बख्तियारपुर-पूर्णिया) और किमी 470.000 से किमी 476.150 (पूर्णिया से गैरकट्टा) तक खंड		
	को छोड़कर], रारा सं. 77 [किमी 0.000 (रामाशीष चौक) से किमी 89.000 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-		
	सोनबरसा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 80, [किमी 1.430 से किमी 70.000 (मोकामा-मुंगेर) तक		
	खंड को छोड़कर], रारा सं. 81, रारा सं. 82, रारा सं. 83 [किमी 0.000 से किमी 127.000 (पटना-		
	गया - डोभी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 84 [किमी 0.000 से किमी 75.000 (पटना-बक्सर) तक		
	खंड को छोड़कर], रारा सं. 85 [किमी 0.000 से किमी 94.700 (गोपालगंज-छपरा) तक खंड को		
	छोड़कर], रारा सं. 98, रारा सं. 99, रारा सं. 101, रारा सं. 102, रारा सं. 103, रारा सं. 104, रारा सं 105, रारा सं. 106, रारा सं. 107, रारा सं. 110, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 333 [रारा-33 (नई सं.)		
	बरियारपुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकई को जोड़ने वाला राजमार्ग], नई राष्ट्रीय		
	राजमार्ग सं. 327 विस्तार, [रारा सं-327 (नई सं.) गलगलिया से प्रारंभ होने वाला (पश्चिम		
	बंगाल/बिहार) ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल को जोड़ने वाला और भरियाही बाजार रारा-231 (नई सं.) के बनगांव पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], नई राष्ट्रीय		
	वाला आर मारयाहा बाजार रारा-231 (नइ.स.) क बनगाव पर समाप्त हान वाला राजमाग], नइ राष्ट्राय राजमार्ग सं. 131ए [पश्चिम बंगाल राज्य में मालदा से शुरू होने वाला तथा रतुआ और देबीपुर को जोड़ने		
	वाला, रारा-31 पर आमदाबाद, मनिहारी, कटिहार को जोड़ने वाला और रारा-27 (नई सं.) पर पूर्णिया		
	पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], नई रारा सं. 122ए, नई रारा सं. 133 और नई रारा सं. 327ए के		
	उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं ।		

[फा.सं. एनएच-14013/17/2013-पीएंडएम]

वी. कृष्णास्वामी, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 3491 (अ), 26 नवंबर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2014

S.O. 677(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
"4	So much of National Highways No.2C, No. 19 [excluding from km.143.200 to km.207.200 (Chhapara-Hajipur)], No.28 [excluding from km. 365.570 to km. 627.000 (from Muzzaffarpur-Piprakothi to Gopalganj-Uttar Pradesh/Bihar Border and Muzzaffarpur to Barauni)], No. 28B, No. 30 [excluding from km.181.300 to km.117.000 (Patna-Buxar) and from km.181.300 to km.231.950 (Patna-Bakhtiyarpur)], No.30A, No. 31 [excluding from km.153.300 to km. 447.000 (Khagaria-Bakhtiyarpur-Purnea) and km. 470.000 to km. 476.150 (Purnea to Goyerkata)], No.77 [excluding from km.0.000 (Ramashish Chowk) to km. 89.000 (from Hajipur-Muzaffarpur-Sonbarsa)], No. 80 [excluding from km.1.430 to km. 70.000 (Mokama-Munger), No.81, No.82, No.83 [excluding from km. 0.000 to km. 127.000 (Patna-Gaya-Dobhi section)], No.84 [excluding from km. 0.000 to Km. 127.000 (Patna-Buxar)], No.85 [excluding from km.0.000 to km.94.700 (from Gopalganj-Chhapra)], No.98, No. 99, No.101, No.102, No.103, No.104, No.105, No.106, No.107, No.110, New National Highway number 333 [the highway starting from Bariyarpur on NH-33 (new number) connecting Kharagpur, Laxmipur, Jamui, Chakai], New National Highway number 327 Extension [the highway starting from Galgalia on NH-327 (new number) (West Bengal/Bihar) connecting Thakurganj, Bahadurganj, Araria, Raniganj, Bhargama, Tribeniganj, Pipra, Supaul and terminating at (Bariyahi Bazar) Bangaon on NH-231 (new number)], New National Highway number 131 A [the Highway starting from Malda, connecting Ratua and Debipur in the State of West Bengal, connecting Amdabad, Manihari, Katihar on NH-31 and terminating at Purnia on NH-27 (New number)], New NH No. 122A, New NH No. 133 and New NH No. 327A as are situated within the State of Bihar.	State Government of Bihar".

[F. No. NH-14013/17/2013-P&M]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 3491 (E), dated the 26th November, 2013.